न्यायालय अति. जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 29/2023

GCMS Case No. : 2023/134

अपीलाण्ट –	बनाम	रेस्पोडेण्ट –
जवानसिंह पुत्र मोड़सिंह जाति रावत निवासी काम्बलीघाट तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द राजस्थान		1. ओमप्रकाश पुत्र कानाराम 2. हिरालाल पुत्र कानाराम 3. भुण्डीदेवी पत्नी नेमाराम 4. चुन्नीदेवी पत्नी सुजाराम 5. डगरीदेवी पत्नी गेनाराम 6. सोनीदेवी पत्नी चुन्नीलाल जातिगण सीरवी निवासीगण बेरा नवोड़ा गांव निम्बली माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 7. भूमिधारी तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन जिला पाली 8. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा माण्डा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली राजस्थान

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी"

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री राजूराम हरियाल।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4, 6 की ओर से अधिवक्ता श्री सी.पी. सिघानियॉ।

–:: आदेश ::–

दिनांक 29/09/2025

रेस्पोडेण्ट्स भुण्डीदेवी, चुन्नीदेवी एवं सोनीदेवी की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अपीलाण्ट जवानसिंह, जैर आराजी जो कि आसन की भूमि है, पर काश्त करने गया तो उसे रोका गया तब वह आसन की ओर से यह अपील पेश कर रहा है। अपीलाण्ट प्रकरण में न तो पीड़ित पक्षकार है न ही अपील पेश करने की कोई लोकसस्टेण्डाई प्राप्त है। अपीलाण्ट अपीलाधीन नामान्तरकरण में पक्षकार भी नहीं है और न ही तत्कालीन खातेदारान का विधिक वारिसान है। आसन मठ भी प्रकरण में पक्षकार नहीं है। अपीलाण्ट पृथक रावत जाति का व्यक्ति है। अपीलाण्ट ने अपील पेश करने की न्यायालय से अनुमति भी प्राप्त नही की है। अपने कथनों की ताईद में अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने न्यायिक दृष्टान्त 2018-19

अति. जिला कलेक्टर, पाली

(Supp.) RRT 206, 2002(2) RRT 891 पेश कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी को स्वीकार कर हस्तगत अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट, आसन मठ की भूमि में पुजा करता है तथा आसन की भूमि पर काश्त करने से रोके जाने की स्थिति में महन्त की हैसियत से जैर अपील पेश की है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जैर आराजी आसन महन्त से खरीदना बताया जबकि ऐसा कोई बेचाण हुआ ही नहीं, इस कारण अपील पेश करने का वाद हेतुक प्रकट हुआ। अपीलाण्ट की जाति रावत है तथा जैर अपील के साथ 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश नहीं किया गया है लेकिन अपीलाण्ट अपीलाधीन आदेश से पूर्णतया प्रभावित है क्योंकि वह आसन का महन्त है। इसलिये अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावे।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। जैर अपील अपीलाण्ट जवानसिंह ने तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन द्वारा नामान्तरकरण संख्या 24 पर स्वीकृति आदेश दिनांक 18.08.1959 के विरूद्ध पेश की है। हस्तगत प्रकरण में यह विधिक प्रश्न है कि क्या अपीलाण्ट जैर अपीलाधीन आदेश से प्रभावित है और क्या वह अपील पेश करने हेतु लोकस स्टैंडाई रखता है ? अपीलाण्ट का अपने समर्थन में मुख्य उज्र यह था कि यह अपील अपीलाण्ट ने आसन मठ के महन्त की हैसियत से पेश की है और स्वयं को आसन मठ का महन्त बताकर प्रभावित पक्षकार बताया है जबकि प्रकरण में जैर अपील केवल जवान सिंह स्वयं को अपीलाण्ट के रूप में पक्षकार संयोजित कर पेश की गई है, यदि अपीलाण्ट उक्त अपील आसन मठ के महन्त की हैसियत से पेश करते तो On Behalf Of आसन मठ सारण अंकित करते जो कि नहीं किया गया और न ही आसन मठ को पक्षकार संयोजित किया गया। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि अपीलाण्ट मठ का महन्त है और मठ ने अपीलाण्ट को उक्त अपील पेश करने हेतु अधिकृत किया हो। प्रकरण में अपीलाण्ट ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार है केवल अपीलाण्ट की जाति रावत होने से स्वयं को आसन मठ का महन्त बताकर अपील पेश करना विधिसम्मत नहीं है। प्रकरण में अपीलाण्ट की लोकस स्टैंडाई नहीं है और अपीलाण्ट ने धारा 96 सी पी सी के तहत अपील पेश करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं की है। अपीलाण्ट जैर अपीलाधीन आदेश से वास्तविक हानि, वैधानिक हित, प्रभावित अधिकार सिद्ध करने में असमर्थ रहा अर्थात् हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट Aggrieved Person नहीं है।

यदि कोई व्यक्ति किसी निर्णय से प्रभावित पक्षकार नहीं है, तो वह अपील नहीं कर सकता, जब तक वह न्यायालय से अनुमति न ले। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के न्यायिक दृष्टान्त RRT 2002(2) Page 891 Bakhatavri & Ors. vs Maniram के अनुसार रेस्पोडेण्ट मनीराम द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई इजाजत नहीं ली है और ना ही ऐसा कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्वयं को व्यथित व्यक्ति होना बतलाया हो। जब तक अधीनस्थ न्यायालय अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत नहीं दे देता, तब तक अपील पोषणीय नहीं रहती। ".....जब तक अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेण्ट मनीराम को व्यथित पक्षकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पाते हुए अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत नहीं दे देती, तब तक वह अपील का गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किये जाने में सक्षम नहीं है। इस सम्बन्ध में हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया तो प्रतीत होता है कि रेस्पोडेण्ट मनीराम ने अपने अपील मीमों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10.06.1994 से क्षुब्ध व्यक्ति होने के कारण उसे चुनौती दिया जाना अवश्य बतलाया है मगर अपील प्रस्तुत किये जाने की कोई इजाजत चाही हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता है।'' उक्त न्यायिक दृष्टान्त में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ''.....अपील प्रस्तुत किये जाने से पूर्व व्यथित पक्षकार को, यदि वह उस निर्णय व डिक्री में पक्षकार नहीं है, जिसे वह चुनौती दे रहा है, तो उस अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन लिया जाना आवश्यक है.....।'' हस्तगत प्रकरण में अपीलाण्ट ने अनुमति के सम्बन्ध धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना–पेश नहीं किया है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त AIR 1971 SC 374 Jatan Kumar Golcha vs Golcha Properties (P) Ltd. में माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि A person who was not a party to the suit has no right to file an appeal unless he obtains leave of the court. इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त AIR 2002 Pat 61 Mahadeo Prasad Singh vs Ram Lochan के अनुसार In the absence of leave, the memorandum of appeal itself is not maintainable. इसी तरह न्यायिक दृष्टान्त 2018-19 (Supp.) RRT 206 Amit & Anr. vs Santram & Ors. में यह प्रतिपादित किया कि Permission for filling an appeal cannot be given to a person, who is not aggrieved by the decree and judgment in the case. उपर्युक्त श्रृंखलाबद्ध न्यायिक दृष्टान्तों में माननीय न्यायालय ने यह उल्लेखित किया है कि कोई भी व्यक्ति जो वाद में पक्षकार नहीं है, और धारा 96 सी पी सी के तहत पूर्व अनुमति (leave of court) लिए बिना अपील दायर करता है, तो ऐसी अपील सुनवाई योग्य नहीं होती और उसे न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किया जा सकता है।

अपीलाण्ट, अपीलाधीन आदेश में पक्षकार संयोजित नही था, न ही तत्कालीन खातेदारान का विधिक वारिसान है और अपीलाण्ट ने न तो धारा 96 सी पी सी के अन्तर्गत leave of the court प्राप्त की है और न ही यह दर्शाया है कि वह इस आदेश से कैसे प्रभावित हुआ है। अतः अपीलाण्ट के पास हस्तगत अपील को प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक Locus Standi नहीं है, और अपील प्रक्रिया की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है।

लिहाजा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 3, 4, 6 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है जिसके स्वाभाविक परिणामस्वरूप हस्तगत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 खारिज की जाती है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 29/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Sd/

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलेक्टर, पाली